उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या-68/2109/बयालिस-2015-131(विविध)/2015टी0सी

लखनऊ : दिनांक : 04 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

सिविल अपील संख्या- 2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशल लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में, पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नवत है :-

" In The ultimate analysis, we conclude and hold that section- 3(7) of 1994 act and rule- 8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any Promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and Without the aid or assistance of Section- 3(7) and rule- 8A shall remain undistrebed "

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित अवमानना याचिका सिविल संख्या- 214/2013, अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2015 को पारित आदेश, का कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नवत है :-

" In is sibmitted by Mr. Ravi Prakash Mehrotra, Iearned Counsel for the State of U.P. that the Judgment passed in Uttar Pradesh Power Corporation Limited Vs. Rajesh Kumar and Others (2012) 7 SCC.1, Shall be complied with in letter and spirit within three weeks hence and the officers, who are to be reverted shall be reveted and they shall not be given any kind of additional charge. The Chief secretary of the State of Uttar Pradesh shall file an affidavit by 15 September, 2015, Stating thae the same has been done, failing which this court may be compelled to direct his personal appearance. No Further adjournment or extension of time shall be granted on that score.

Be it added, the High Court shall not entertain any kind of petition with regard to the controversy that is covered in the decision rendered in Uttar Pradesh Power Corporation Limited (Supra) or even Linked with it.

The Registrar (Judicial) is directed to send a copy of this order to the Registrar General of the High Court of Allahabad, to be placed before the learned Chief Justice so that he can do the needful in the mattar.

List the marrers on 15Th Seprember, 2015 "

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के समादर में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 8/4/1/2002टी0सी0- 1 का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के प्रस्तर- 6(क) में पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एंव 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

> " उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम- 1994 की धारा- 3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के नियम- 8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों को पदोन्नति की गयी है (उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 08.05.2012 एवं 13.05.2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनांक 15.11.1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम- 8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये। "

4- कार्मिक विभाग के सन्दर्भित शासनादेश में लिए गए निर्णय के अनुसार, खेल विभाग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम- 1994 की धारा- 3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात खेल अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.01.2006 द्वारा क्रीड़ाधिकारी के पद से क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ग्रेड- 2 के पद पर दिनांक 03.06.2003 से नौशनल पदोन्नत श्री विजय कुमार को श्री राज्यपाल क्रीड़ाधिकारी के पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदावनत करते हैं।

5- श्री विजय कुमार को पदावनत पद अर्थात क्रीड़ाधिकारी का वेतनमान अनुमन्य होगा। श्री विजय कुमार का मूल वेतन उनसे आसन्न वरिष्ठ क्रीड़ाधिकारी अर्थात श्री चन्द्रमौलि पाण्डेय को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में, श्री विजय कुमार को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए उनके पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियॉं तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में उन्हें अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी श्री विजय कुमार के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि हो रही है। श्री विजय कुमार की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियॉं तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि उनसे आसन्न वरिष्ठ क्रीड़ाधिकारी की परिलब्धियॉं उनके बराबर अथवा उनसे अधिक न हो जायें। श्री विजय कुमार पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त करेंगे। श्री विजय कुमार को प्राप्त हो रही परिलब्धियॉं (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर उन्हें वरिष्ठता क्रम में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

6- क्रीड़ाधिकारी के पद पर पदावनत श्री विजय कुमार को जनपद संत रविदासनगर (भदोही) में क्रीड़ाधिकारी के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

श्री राज्यपाल की ओर से,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 68/2109(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- निदेशक, खेल के पत्र संख्या- जी0- 595/स्था0एक(91)/आ0पदो0पदावन पत्रा0/15-16, दिनांक 28 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में एक अतिरिक्त प्रति सहित, इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति श्री विजय कुमार पा तामील कराते हुए तथा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

4- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक।

6- कार्मिक अनुभाग- 2, उत्तर प्रदेश शासन।

7- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in